CAS FAQ

जनपद: लखनऊ

कृपया अवगत कराना है कि कोर अप्लीकेशन साफ्टवेयर में उ0प्र0 साहूकारी निवारण अधिनियम–1976 में धारा–22/23 उपलब्ध नहीं है, जो साहूकार का लाइशेंस न होने के बाद भी ब्याज पर पैसा देने से सम्बन्धित है।

उत्तर: CAS में अधिनियम व वर्णित धाराएं जोड़ दी गई हैं|

जनपद: मुरादाबाद

विषय:- जनपद मुरादाबाद की राज्य रिपोर्ट से जी0आर0पी0 बड़ौत व चन्दौसी का नाम हटाने के सम्बन्ध में।

उत्तर: जी०आर०पी० थानों को समस्त जनपदों की रिपोर्ट से अलग प्रदर्शित करने के लिए NIIT के स्तर से कार्यवाही प्रचलित है|

महोदय कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा CS/FR को लगाया जा रहा है जिसमें की कुछ तकनीकी समस्या का सामना करना पड रहा है जिसमें की जब विवेचकों द्वारा किसी भी अभियोग में चार्जशीट/एफआर को लगाया जाता है तो इसके पश्चात कम्प्यूटर पर केस साफ्टवेयर द्वारा जो प्रिन्ट दिया जाता है यह बहुत ही छोटा साइज होता है जो कि काफी ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात समझा जाता है जिसको लेकर अभियोजन के समय आपत्ति प्रकट की जा रही है तथा इसके साथ आरोप पत्र एवं अतिंम प्रपत्र के प्रोफार्मा में भी कोई विशेष पहचान चिन्ह नही है जिससे इसको अलग अलग पहचाना जा सकें।

उत्तर: NCRB को सूचित कर दिया गया है| NCRB द्वारा भविष्य में आने वाले CAS के version में सम्मिलित किया जायेगा|

3. सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा CS/FR को लगाया जा रहा है जिसमें की कुछ तकनीकी समस्या का सामना करना पड रहा है जिसमें की एक अभियोग में अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा अपनी गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया गया है तथा उक्त प्रकरण में चार्जशीट लगायी जाती है को आरोप पत्र दाखिल करते समय एक अनिवार्य फिल्ड "अभियुक्त की स्थिती " आता है जिसके अन्दर "अदालत में भेजा,उद्घोषित अपराधी,न्यायालय द्वारा जमानत,न्यायिक हिरासत में , पुलिस द्वारा जमानत,फरार " कुल 06 विकल्प आते है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर स्टे लिये जाने सम्बन्धी कोई विकल्प प्रदर्शित नही होता है जिससे असमंजस की स्थिति बनी रहती है।

उत्तर: "अभियुक्त की स्थिति" में "न्यायालय के द्वारा गिरफ़्तारी पर स्टे" विकल्प जोड़ दिया गया है|

4. केस साफ्टवेयर पर किसी पंजीकृत अभियोग में यदि आरोप पत्र लगा दिया जाता है और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा पुनः विवेचना के दौरान एफआर लगाया जाना है तो साफ्टवेयर में IIF-6 में विवेचना को खोलने के पश्चात केवल आरोप पत्र का ही आप्शन आ रहा है इसमें अतिंम प्रपत्र का कोई आप्शन नही है जिससे IIF-5 शत प्रतिशत नही हो पा रहा है।

उत्तर: CAS 4.5 में यह व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है |

2. उक्त प्रकरण मे महोदय को अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद पाथलेट जिला था जिस कारण से वर्ष 2013 में सुविधानुसार 02 थानो द्वारा जनवरी 2013 से क्राइम को सीसीटीएनएस के केस साफ्टवेयर पर फीड किया गया था परन्तु अन्य थानो द्वारा माह जनवरी से माह अप्रैल में कार्य को आरम्भ किया गया था। पूर्व मे केस साफ्टवेयर 2.4.8 वर्सन पर कार्यरत था जिसमे के एफआईआर के पंजीकरण में मुकदमा अपराध संख्या यह अपने आप स्वय लेता था थानो द्वारा डाटा को फीड करने पर प्रथम अपराध संख्या 01 से आरम्भ किया जाना था परन्तु वर्ष के बीच मे कार्य होने पर साफ्टवेयर के कारण अपराध संख्या आपस में बदल गये इसी प्रकार पंजीकृत अभियोग का क्राइम सही न होने से पुरे वर्ष का डाटा अर्थात क्राइम नम्बर गलत है ये हालत जनपद मुरादाबाद के 20 थानो पर बनी हुई है जिसमें वर्ष 2013 का डाटा पूर्ण रुप से गलत है।

उत्तर: वर्ष 2013 व 2014 के मुकदमो को CAS में पंजीकृत करते समय आ रही समस्याओं जैसे ऑटो एफआईआर नंबर को ध्यान में रखते हुए जिन थानों के वर्ष 2013 व 2014 के मुकदमें NIIT द्वारा digitize नहीं है, उन्हें digitization utility से कराया जायेगा |

जनपद: मुरादाबाद, महाराजगंज

2. सीसीटीएनएस केस साफ्टवेयर पर थानें पर एनसीआर का पंजीकरण किया जाता है और न्यायालय द्वारा इसके विवेचना के आदेश पारित कर दिये जाते है और इसमें आरोप पत्र किसी व्यक्ति पर लगाया जाना होता है तो कैस साफ्टवयेर में यह आप्शन न होने के कारण यह सम्भव नही हो पाता है इसमें केवल अतिम प्रपत्र का ही आप्शन दे रखा है।

उत्तर:

एनसीआरबी की गाइड लाइन के अनुसार एनसीआर पर चार्जशीट लगाने के लिए साफ्टवेयर में एनसीआर को एफ0आई0आर0 में परिवर्तित कर चार्जशीट लगाने का प्राविधान है।

जनपद: जौनपुर, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, जालौन, गाज़ीपुर, एटा

लम्बित विवेचानओं के निस्तारण हेतु "Pending Investigation Entry Form" पर क्लिक करने पर केवल IIF-V फार्म ही प्रदर्शित होता है। IIF-2 फार्म प्रदर्शित न होने के कारण प्रकाश में आये अभियुक्तों का नाम व गवाहों का नाम एवं संशोधित धारा CS/FR लगाते समय प्रदर्शित नहीं होता है।

उत्तर:

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अभियुक्त व गवाह का नाम जोडने के लिए Core CAS Online Application से IIF-2 में अभियुक्त / गवाह का नाम एवं विवरण दर्ज करायें ताकि यह संशोधन पी0आई0एप्लीकेशन में प्रदर्शित होगा।

जनपद: हमीरपुर

अत: उक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि उ0प्र0 खेसारी प्रतिषेध अधिनियम 1983 धारा 2 तथा धारा 3 (The Uttar Pradesh Kesari Gram (Prohibition) Act 1983 U/S 2 & 3) को कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में जोडने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे यह अधिनियम कैस

उत्तर:

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 खेसारी प्रतिषेध अधिनियम 1983 धारा 2 तथा 3 [The Uttar Pradesh Kesari Gram {Prohibition} Act 1983 U/S 2 &3] को कोर एप्लीकेशन साफटवेयर जोड दिया गया है।

जनपद: सोनभद्र

थाना स्थानीय पर कम्प्यूटर में की जाती है। इन मुकदमों के निस्तारण के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त न होने के कारण सीसीटीएनएस पोर्टल पर लंबित प्रदर्शित हो रही है तथा इनको पूर्ण रूप से आनलाईन फार्म में मुकदमें का परिणाम अंकित न किये जाने के कारण लंबित उपरोक्त पंजीकृत मुकदमों के निस्तारण में काफी समस्या हो रही है। चूंकि टेस्ट एफआईआर व मिल अपराध पर पंजीकृत मुकदमों मे विवेचनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके कारण इसका परिणाम शून्य होता है। इसके समाधान के सम्बन्ध में भी उचित दिशा-निर्देश की आवश्यकता है।

उत्तर:

> 2— उल्लेखनीय है कि निल एफआईआर के सम्बन्ध में इस मुख्यालय से पत्र संख्याः टीएस–सीसीटीएनएस–08/2010(V) दिनांकः 29–10–2015 के द्वारा समस्त जनपदों को ई–मेल के माध्यम से DO'S & DON'TS प्रेषित किये जा चुके हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाइट पर सीसीटीएनएस सर्कुलर में उपलब्ध हैं।
>
> 3— कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर में टेस्ट एफआईआर के लिए अलग से कोई प्राविधान नहीं है अतः ऐसे प्रकरणों पर फाईनल रिपोर्ट अन्य प्रकार के साथ लगायी जा सकती है। तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

जनपद: कुशीनगर

> 6— जी0डी0 के प्रिन्ट आउट में जी0डी0 लेखक का नाम, प्रिन्ट आउट नही आता।

उत्तर: जी०डी० के प्रिंट में सभी प्रविष्टि उपलब्ध है :

Add General Diary Details
(रोजनामचा का विवरण जोड़ें)

State (राज्य): उत्तर प्रदेश   District (जिला): संत कबीर नगर

P.S. (थाना): महुली

a. GD No. (रोजनामचा अनुक्रम सं): 001

b. GD Date (रोजनामचा दिनांक): 08/09/2017 घंटे

c. G.D. Entry Type (रोजनामचा प्रकार): आपराधिक प्रकरण   d. Case Type (प्रकरण प्रकार): [illegible]

e. G.D. Brief (रोजनामचा संक्षिप्त): संक्षिप्त जनरल डायरी

f. Entry for (Officer) (प्रविष्टि (अधिकारी के लिए)): ANIL KUMAR SINGH निरीक्षक

g. Subject (विषय): संक्षिप्त जनरल डायरी संक्षिप्त जनरल डायरी संक्षिप्त जनरल डायरी संक्षिप्त जनरल डायरी संक्षिप्त ज

h. Acts & Sections (अधिनियम और धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)

Report Printed on (रिपोर्ट मुद्रण की दिनांक): 08/09/2017 15:05 बजे   Signature (हस्ताक्षर):

Report Printed by (किस के द्वारा रिपोर्ट मुद्रित): ANIL KUMAR SINGH   Name (नाम): ANIL KUMAR SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 9454404315

8– लैटीट्यूड और लांगीट्यूड डिग्री फार्मेट में है जिसको डेसीमल फार्मेट किया जाय।

उत्तर: यह सुविधा CAS के अगले version 5.0 में उपलब्ध होगी।

13– जी०डी० को क्षेत्राधिकारी की आईडी से नही देख सकते है। यह प्रावधान जोड़ा जाय कि उनकी आईडी से भी देख सके।

उत्तर: क्षेत्राधिकारी सभी जी०डी० को जी०डी० खोजें एवं देखें option से व राज्य रजिस्टर मेनू में जाकर जी०डी० रजिस्टर से देख सकते हैं |

जनपद: महाराजगंज

3– अभियुक्त का माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी पर स्टे लिये जाने सम्बन्धी कोई विकल्प

उत्तर: CAS online में यह विकल्प जोड़ दिया गया है | CAS ऑफलाइन में यह विकल्प CAS के version 4.5 में उपलब्ध होगा |

5– केस डायरी में टाईप किये गये शब्द (Font size) छोटे होते है।

उत्तर: एप्लीकेशन के समस्त फार्म में फॉण्ट साइज़ एक समान है |

9– रिपोर्टिंग चौकी पर FIR,NCR,CS/FR,IIF-1,2,3,4,5 समस्त रजिस्टर को किस प्रकार से कैस साफ्टवेयर में दर्ज किया जाना है।

उत्तर: CAS में यह व्यवस्था केवल पुलिस थानों में उपलब्ध है |

अतः अनुरोध है कि उक्त मु0अ0सं0 212/2017 धारा 147,323,354B,354D, 376D,504,506,120B भा0द0वि0 5/6 पास्को एक्ट व 3(25)क SC/ST एक्ट व IT Act थाना कोल्हुई में किता की गयी आरोप पत्र स्0 124/17 को (Re-Open) निरस्त कर आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

उत्तर: CAS online में यह व्यवस्था उपलब्ध है | SHO की ID से अभियोजन -> कोर्ट केस संख्या -> फिर से खोलने और जांच अधिकारी की नियुक्ति लिंक पर जाकर फॉर्म में उपलब्ध विवरण भरकर केस री-ओपन किया जा सकता है |

जनपद: फतेहगढ़,

> रहा है जिससे उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या ...
> संख्या- 0196/17 एवं 228/17 को मा0 न्यायालय के आदेशानुसार Reopen किया जाना है ,किन्तु कैश साफ्टवेयर पर उपलब्ध IIF-6 के माध्यम से उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या को Reopen हेतु डालने पर " **कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है।" मैसेज प्रदर्शित हो रहा है।** जिससे उपरोक्त मुकदमों को Reopen नही कियां जा पा

उत्तर: Online CAS में अभियोजन में न्यायालय के आदेश से कोई Charge Sheet तभी Reopen होगी जब वह "Continue/लगातार" स्थिति में हो |

CAS 3.0 में FR को "लगातार" स्थिति में जमा न करें अन्यथा भविष्य में Reopen नहीं होगी | FR को हमेशा "पूर्ण" स्थिति में जमा करें |

जनपद: भदोही, कानपूर देहात, सहारनपुर

> **अतः उक्त के सन्दर्भ में निवेदन है कि एनसीआर संख्या 32/17 व 33/17 तथा एनसीआर संख्या 34/17 व 35/17 की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि को डेटाबेस से हटाने हेतु सम्बंधित को आदेशित करने की कृपा करें।**

उत्तर: NCR संख्या स्वतः (Automatic) प्राप्त होती है | जो NCR संख्या एक बार दे दी गई, अब उस पर कोई दूसरी NCR नहीं दर्ज की जा सकती | अतः अगले NCR संख्या से प्रारंभ करें |

जनपद: सिद्धार्थनगर, मेरठ, बलिया, गोरखपुर,लखनऊ, कानपुर देहात

> उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि थाना- मोहाना, जनपद- सिद्धार्थनगर (CUG-9454404239) पर मु0अ0सं0- 1263/17 मानवीय भूलवश मु0अ0सं0- 126/17 पर गलत पंजीकृत हो गया है जिसको Delete कराया जाना अति आवश्यक है।
>
> अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि उक्त मु0अ0सं0- 126/17 को निरस्त (Delete) कराने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने की कृपा करें।

उत्तर: FIR/CCN में जो प्रविष्टि एक बार हो जाती है उसे बदला नहीं जा सकता | धारा में संशोधन, गवाह या अभियुक्त को बढ़ाना/घटाना IIF-2 में किया जा सकता है |

गलत FIR संख्या पर पंजीकरण, FIR में तारीख/समय गलत होना, गलत अभियुक्त/धारा लग जाना आदि में विवेचक को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी विवेचना में उक्त तथ्यों को सुधार सकता है |

जनपद: बलिया, हापुड़

> **5812301576 एवं थाना क्योलड़िया टेलीफोन न. 5825228035 का में बिल जमा न होने के कारण सीसीटीएनएस पर लगे वीपीएन कनैक्शन काट दिये गये हैं जिस कारण थानों का डाटा सिंक नहीं हो रहा है एवं सीसीटीएनएस के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही**

उत्तर: यह BSNL के सॉफ्टवेयर की समस्या है | CCTNS में लगे VPN कनेक्शन का भुगतान तकनीकी सेवाएं मुख्यालय द्वारा वार्षिक किया जाता है जबकि BSNL का सॉफ्टवेयर हर 3 माह में, "बिल का भुगतान न होने के कारण", कनेक्शन काट देता है | उक्त सम्बन्ध में स्थानीय BSNL अधिकारी से संपर्क कर कनेक्शन जुड़वाँ लें |

किसी प्रकार की समस्या होने पर तकनीकी सेवाएं में, BSNL अधिकारी श्री सुनील जैन (मो0 9415411222) से संपर्क किया जा सकता है |

जनपद:अम्बेडकरनगर,

3. यहां विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (कैस) में गिरफ्तारी/आत्म सर्मपण या माल बरामदगी (मेमो जब्ती) की कार्यवाही एक ही जीडी नं0 पर दाखिल हुआ। उक्त दाखिला जीडी के आधार पर IIF-1 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई तथा विवेचनोपरान्त आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट किता कर दी गयी है। कैस साफ्टवेयर में एक बार में एक जीडी नं0 का उपयोग एफआईआर दर्ज करने में किया जा सकता है। अब सेम जीडी नं0 का उपोयग गिरफ्तारी/आत्मसर्मपण/माल बरामदगी(मेमो जब्ती) में नही की जा सकती। कैस साफ्टवेयर ALLOWED नही कर रहा है। जिस कारण 01.04.2017 के बाद दर्ज हुए एफआईआर जिसमें आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट किता हो गयी है। उसमें गिरफ्तारी/आत्मसमर्पण/माल बरामदगी को कम्प्यूटर (कैस) पर अपलोड नही किया सकता है। उक्त तकनीकी कमी के कारण अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ/पुलिस महानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र फैजाबाद का प्रस्तर 2 में दिया गये निर्देश की पूर्ति नही हो पा रही है।

उत्तर: इस मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी कई बार जनपदों को अवगत कराया गया है कि CAS 3.0 में FIR, गिरफ़्तारी, संपत्ति जब्ती आदि के लिए अलग-2 GD संख्या की आवश्यकता होती है |

"As per current flow of NCRB, Required to choose the GD in arrest & Seizure memo which is generated as "GD Type" Arrest & Seizure, other types of GD will not be acceptable to fill these forms."